९५१/९८
१३/७/९८

XXX-Part.—21

रूप [illegible]ांक 2

(देखि[illegible] [illegible]7)

मध्यप्रदे[illegible] शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक JK 3820

यह प्रमाणित किया जाता है कि लाला मथुरा दास शिक्षा समिति

समिति जो द्वारा डॉ० ओमप्रकाश चड्डा दुबे कालोनी कटनी रोड, तहसील कटनी,

जिला कटनी में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन २४/६/९८ को पंजीयित की गई है ।

दिनांक चौबीस माह जून सन् 1998

मुद्रा

B. S. SOLANKI
Assistant Registrar,
Firms & Society,
Jabalpur

GRPRI—FS/[illegible]—10/97—40,000.

Principal
Bellwether International School
KATNI (M.P.)

सचिव
लाला मथुरा दास शिक्षा समिति
कटनी (म.प्र.)

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं जबलपुर संभाग, जबलपुर
उद्योग भवन खण्ड 'अ' चतुर्थ तल कटंगा टी.वी. टॉवर जबलपुर

क्रमांक 1232/19 जबलपुर दिनांक 23/5/19

आदेश

लाला मथुरा दास समिति पंजीयन क्र0 जे.के. 9820 दिनांक 24/6/1998 पर पंजीकृत **समिति हैं,** समिति द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में सुधार हेतु आवेदन दिनांक 20/5/2019 को प्रस्तुत किया है। जिसमें अवगत कराया गया है, कि समिति का नाम **लाला मथुरा दास शिक्षा समिति कटनी** हैं, परंतु प्रमाणपत्र में **लाला के स्थान** पर **"लाल"** त्रुटिवश हो गया हैं, प्रकरण का पूर्ण अवलोकन से यह तथा स्पष्ट होता हैं, कि समिति द्वारा लाला मथुरादास शिक्षा समिति कटनी के नाम से पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र, नियमावली व पंजीयन शुल्क चालान से प्रस्तुत किया गया था तथा जब पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उस समय त्रुटिवश लाला के स्थान पर **"लाल"** हस्तलिखित किया गया हैं, जबकि पंजीयन रजिस्टर में **"लाला"** ही हैं,, संपूर्ण परिपेक्ष्य में स्पष्ट हैं, कि लिपिकिय त्रुटिवश नाम कों दर्ज करने में त्रुटि हुई हैं। तत्पश्चात भी समिति की ओर से वर्ष **24/06/2011** को संशोधन की कार्यवाही करते हुए नियमावली के अन्य नियमों में संशोधन अनुमोदित कराया गया हैं, जिसमें संशोधित नियमावली में नाम **"लाला मथुरादास शिक्षा समिति"** हैं, इस तरह दस्तावेजों के आधार पर समिति का नाम "लाला मथुरादास शिक्षा समिति" ही हैं, परंतु लिपिकिय त्रुटिवश नाम **"लाल मथुरादास शिक्षा समिति"** हस्तलिखित रूप से प्रमाणपत्र में दर्ज हुआ हैं। त्रुटि का संज्ञान इस कार्यालय को नही था, नाहि समिति द्वारा यह तथ्य संज्ञान में रखा गया, सुधार हेतु आवेदन दिनांक 20/05/2019 को प्रस्तुत किया गया हैं। तद्संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धांत हैं, कि कोई भी न्यायालय या प्राधिकारी को निहित अधिकार होता हैं, कि वह चूकवश, त्रुटिवश लिपिकिय चरित्र की त्रुटि होने पर उसे सुधार कर सकता है, प्रकरण में समिति के पंजीयन प्रमाण पत्र में लिपिकिय त्रुटि होना स्पष्ट है, जिसमें सुधार किया जाना सद्भावना पूर्ण हैं।

अतएव समिति के आवेदन अनुसार समिति के मूल प्रमाण पत्र के समिति का नाम में "लाल" के स्थान पर **"लाला"** सुधार किया जाता हैं अर्थात् समिति के नाम में दस्तावेजों के अनुसार प्रमाणपत्र में समिति का नाम "लाल मथुरादास शिक्षा समिति" स्थान में लाल के स्थान में **"लाला"** करते हुए समिति का नाम **" लाला मथुरादास शिक्षा समिति "** लिपिकिय त्रुटि सुधार कर दिया गया हैं।

(एस0के0तिवारी)
सहायक पंजीयक (प्रभारी)
फर्म्स एवं संस्थाऐं जबलपुर संभाग
जबलपुर (म0प्र0)

पृ0क्र0 जबलपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :—

सचिव लाला मथुरादास शिक्षा समिति जय माता दी भवन कटनी को आवेदन दिनांक 20/05/2019 के संदर्भ में प्रस्तुत मूल प्रमाणपत्र संलग्न कर सूचनार्थ।

Sd/-
(एस0के0तिवारी)
सहायक पंजीयक (प्रभारी)
फर्म्स एवं संस्थाऐं जबलपुर संभाग
जबलपुर (म0प्र0)

Principal
Bellwether International School
KATNI (M.P.)

सचिव
लाला मथुरा दास शिक्षा समिति
कटनी (म.प्र.)